न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 234/2023

भैरूसिंह पुत्र नारायणसिंह राजपूत
बनाम
राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ (जोधपुर)

दिनांक 12 .01.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 131, 132 व 136 आरएलआर एक्ट के तहत पारित आदेश कमांकः राजस्व/2021/889–91 दिनांक 28.01.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसील भोपालगढ स्थित ग्राम बासनी हरिसिंह के खसरा नम्बर 50, 47/1, 47, 46, 45, 38, 39, 30/1, 30, 48/1, 48/2, 48, 44, 44/1 व 40 कुल खसरान 15 में से उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लट्ठा) ट्रेस में दुरूस्ती करने का आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त खसरान में से अपीलार्थी ख0नं0 50 के खातेदार काश्तकार है। मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नही है और न ही सेटलमेंट से किसी प्रकार का रास्ता था। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही मौका निरीक्षण किया गया। प्रकरण में कोई विधिक प्रकिया नही अपनायी गई है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, यह आग्रह किया गया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार भोपालगढ के प्रस्ताव पर पारित किया गया है। जो मौका फर्द के अनुसाार फसल खरीफ संवत् 2078 में गश्त गिरदावरी के दौरान मौके पर पाये गये कदीमी सार्वजनिक रास्तों का राजस्व रेकर्ड में अंकन हेतु प्रस्तावित किय

12/1/26.

गया। प्रस्ताव के संलग्न नक्शा किश्तवार के अनुसार उक्त रास्ता सार्वजनिक हित में प्रभावित खसरान की कणा–माठ पर, दोनों तरफ के खसरान की सीमाओं में काटा गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार भोपालगढ के प्रस्ताव पर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद नक्शा किश्तवार के अवलोकन से उक्त रास्ता, प्रभावित खसरान की कणा–माठ पर, दोनों तरफ के खसरान की सीमाओं में काटा गया है। जो सार्वजनिक हित में आम ग्रामवासियों की मुख्य सड़क तक पहुंच हेतु सुलभ प्रतीत होता है। अतः इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ (जोधपुर) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांकः राजस्व/2021/889–91 दिनांक 28.01.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12-1-26. को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

12/1/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर